भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 7

उत्तर देने की तारीख-03/02/2025

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2024 का कार्यान्वयन

†7. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2024 के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और विद्यालय और उच्च शिक्षा स्तरों पर इसे लागू करने के प्रमुख चरणों की समय-सीमा क्या है;

(ख) नीति कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरणों में विशेषकर कौशल विकास, बहुभाषी शिक्षा और डिजिटल शिक्षण अवसंरचना के संबंध में प्राथमिकता प्राप्त प्राथमिक फोकस क्षेत्र कौन-कौन से हैं;

(ग) सरकार द्वारा राज्य शिक्षा प्रणालियों में नीतिगत दिशा-निर्देशों का सुचारु एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या इस संबंध में राज्य सरकारों और हितधारकों के साथ कार्रवाई की गई है;

(घ) वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए आबंटित निधियों और संसाधनों का ब्यौरा क्या है तथा शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम विकास और अवसंरचना उन्नयन के लिए कितना प्रावधान किया गया है; और

(ङ.) कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरणों के दौरान किन-किन विशिष्ट चुनौतियों की पहचान की गई और उनके समाधान के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) की घोषणा के बाद स्कूल और उच्चतर शिक्षा दोनों में कई परिवर्तनकारी बदलाव हुए हैं। स्कूल शिक्षा में कई पहल की गई हैं जिनमें स्कूलों के उन्नयन के लिए पीएम श्री (पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया); सभी बच्चों के लिए समावेशी और समतामूलक कक्षा परिवेशयुक्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए समग्र शिक्षा; कक्षा-3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान सुनिश्चित करने के लिए समझ के साथ पढ़ने और संख्याज्ञान में दक्षता हासिल करने के लिए राष्ट्रीय पहल (निपुण

भारत); तीन महीने के खेल-आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल के लिए विद्या-प्रवेश दिशानिर्देश; शिक्षा के लिए सुसंगत बहु-मोड पहुंच को सक्षम बनाने के डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करने के लिए पीएम ई-विद्या; ई-बुक्स और ई-कंटेंट वाले एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में दीक्षा (ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा); बुनियादी स्तर के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ एफएस) और 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए खेल-आधारित अधिगम शिक्षण सामग्री के लिए जादुई पिटारा का शुभारंभ; परख (समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और विश्लेषण); निष्ठा (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल) 1.0, 2.0 और 3.0; विद्या समीक्षा केंद्र; एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम; शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनपीएसटी); शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को सक्रिय और उत्प्रेरित करने के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला (एनडीईएआर), 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी निरक्षरों को लक्षित करते हुए "नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या उल्लास" योजना का कार्यान्वयन, आदि शामिल है।

उच्चतर शिक्षा में, विभिन्न पहल/सुधार किए गए हैं जिनमें राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ), राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (एनएचईक्यूएफ); अवर स्नातक कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क, उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम में एकाधिक प्रवेश और निकास; उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बहु-विषयक संस्थानों में बदलना; एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रमों को संचालित करना; प्रत्येक छात्र की स्वचालित स्थायी एकेडमिक खाता रजिस्ट्री (एपीएएआर आईडी) जो पूर्व-प्राथमिक से उच्चतर शिक्षा तक उनकी शैक्षिक यात्रा और उपलब्धियों को ट्रैक करने के लिए आजीवन पहचान के रूप में कार्य करेगी; मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना की शुरुआत, अन्य बातों के साथ-साथ एक सरल, पारदर्शी और छात्र-अनुकूल और पूरी तरह से डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से संपार्श्विक मुक्त, गारंटर मुक्त ऋण सक्षम करना; ओडीएल/ऑनलाइन शिक्षा का संशोधित विनियमन; स्वयं प्लेटफॉर्म का उपयोग करके नियमित पाठ्यक्रमों में 40% क्रेडिट की अनुमति देना; विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत मौजूदा जनशक्ति के कौशल और अपस्किलिंग और रीस्किलिंग को बढ़ाने के उद्देश्य से नए स्वयं प्लस पोर्टल का शुभारंभ; समर्थ के माध्यम से प्रवेश से लेकर डिग्री प्रदान करने तक उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रशासन में प्रौद्योगिकी का एकीकरण; उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उद्योग विशेषज्ञों के साथ काम करने में सक्षम बनाने के लिए के प्रोफेसर प्रैक्टिस आधार संबंधी दिशानिर्देश; भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों में विदेश से छात्रों को प्रवेश देने के लिए अतिरिक्त सीटों के लिए दिशानिर्देश और एक शैक्षणिक वर्ष में दो प्रवेश चक्रों के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों को अनुमति देना; अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों की प्रतिष्ठा में वृद्धि; शिक्षा में भारतीय ज्ञान प्रणाली को शामिल करना आदि शामिल है।

एनईपी के कार्यान्वयन के लिए जागरूकता पैदा करने और नवीन विचारों पर चर्चा करने के लिए, समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, शैक्षणिक संस्थानों, अन्य हितधारकों के साथ कार्यशालाओं/परामर्श-सह-समीक्षा बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की गई है। जून 2022 में गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में; जून 2022 में आयोजित मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन; अगस्त 2022 में आयोजित नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक; अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2022, 2023 और 2024, 27 जुलाई 2024 को आयोजित नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में एनईपी 2020 के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई। हाल ही में, 12 और 13 नवंबर 2024 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सचिवों के साथ उच्चतर और तकनीकी शिक्षा पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य एनईपी 2020 को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों और तरीकों का प्रसार करना; रोडमैप और कार्यान्वयन रणनीतियों को प्रभावी ढंग से स्पष्ट करना, ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना; सभी हितधारकों को एक साथ आने और एनईपी 2020 के प्रभावी और सुचारू कार्यान्वयन के लिए नेटवर्क बनाने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना और राज्य संस्थानों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, पूरे भारत में एक अधिक मजबूत, समावेशी और विश्व स्तर की प्रतिस्पर्धी शिक्षा प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करना है।

एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के बारे में लोगों तक पहुंच और जागरूकता फैलाने के लिए 84 केंद्रीय वित्तपोषित उच्चतर शिक्षा संस्थानों (सीएफआई) और 404 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को शामिल करते हुए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसमें प्रत्येक सीएफआई को नजदीक के भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित 5-7 राज्य विश्वविद्यालयों के साथ जोड़ा गया है।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों को एनईपी 2020 के साथ अनुकूलित किया गया है। जहां तक केंद्र सरकार का संबंध है, वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक का बजट आवंटन निम्नलिखित है:-

वर्ष	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
बजट आवंटन (करोड़ रु. में)	93,224.31	1,04,277.72	1,12,899.47	1,21,117.77

वर्ष 2019-20 में केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के तहत निष्ठा-स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल नामक एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रारंभिक स्तर पर अधिगम परिणामों में सुधार करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है। निष्ठा स्कूलों में सभी स्तरों पर शिक्षकों के लिए एक क्षमता निर्माण

कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य "एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार" करना है।

इसके अलावा, उच्चतर शिक्षा में शिक्षकों/संकाय से संबंधित मुद्दों का समाधान और उनके व्यावसायिक विकास करने के लिए, मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें कई घटक शामिल हैं जैसेकि एनईपी अभिविन्यास और संवेदीकरण कार्यक्रम; संकाय प्रेरण कार्यक्रम; अल्पावधि कार्यक्रम; पुनश्चर्या पाठ्यक्रम; भावी नेतृत्व कार्यक्रम का पोषण; विशिष्ट अधिगम दिव्यंगता पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम; डिजाइन और उद्यमिता, नेतृत्व का विकास, उच्चतर शिक्षा संस्थानों में सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य लचीलापन और कल्याण को बढ़ावा देना, विशिष्ट अधिगम दिव्यंगता के बारे में संवेदनशीलता, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्टेम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) विषय, विज्ञान, संचार आदिमें क्षमता निर्माण कार्यक्रम।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) का तीसरा चरण, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-रूसा) के रूप में एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य विशिष्ट राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को निधियन करना है ताकि उनकी गुणवत्ता में सुधार हो सके, इसे जुलाई **2023** में वर्ष **2023-24** से वर्ष **2025-26** की अवधि के लिए **12926.10** करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू किया गया है।

एनईपी 2020 में इसके कार्यान्वयन के लिए अलग-अलग समयसीमा के साथ-साथ नियम और कार्यप्रणाली भी दी गई है। इसमें यह भी प्रावधान है कि 2030-40 के दशक में पूरी नीति परिचालन मोड में होगी, जिसके बाद एक और व्यापक समीक्षा की जाएगी। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में होने के कारण, सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य समान रूप से जिम्मेदार हैं। तदनुसार, शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारें, शिक्षा से संबंधित मंत्रालयों, स्कूल और उच्चतर शिक्षा के विनियामक और कार्यान्वयन निकायों जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल आदि ने एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए पहल करना शुरू कर दिया है।

*****